पत्र सख्या -3/ एम-15066/86-का0-6725

बिहार सरकार

कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एम0 एल0 मजुमदार,
सकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी समाहर्ता।

पटना, दिनांक 22 मई 1989, ई0।

विषय:- सरकारी सेवा में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य में किया जा रहा है। इन 15 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम यह है कि सरकारी सेवा में तथा विभिन्न लोक उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो चाहिए। चूकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पद आरक्षित रखना संवैधानिक नही है इसलिए यह आवश्यक है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों को विशेष रुप से चयन कया जाए ताकि सरकारी सेवा में सरकार के अधीन लोक उपक्रमों के सेवा में उनको प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो।

2. उपर्युक्त तथ्य के आलोक में सरकार ने इस विषय पर भली-भाति विचार कर निम्न निर्णय लिया है।

3. नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम, इसाई एंव सिख के किसी एक पदाधिकारी को यथासंभव सदस्य के रुप में मनोनीत किया जाए।

4. सरकार का विचार है कि चयन/प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व सदस्य के रुप में रहना सरकारी सेवा/लोक उपक्रम के संवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व में सहायक सिद्व होगा।

विश्वासभाजन

ह०/- एम0 एल0 मजुमदार,
सरकार के सचिव

ज्ञांप संख्या-3/एम-15066/86-का0-6725 पटना-15, दिनांक 22 मई, 1989

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष लोक उद्यम ब्यूरो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु आग्रसारित।

4. अनुरोध है कि यह व्यवस्था लाक उपक्रमों में भी लागू की जाए

ह०/- एम0 एल0 मजुमदार,
सरकार के सचिव